# दिनांक 25 जनवरी, 2011 को लखनऊ में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम हेतु महामहिम श्री राज्यपाल का उद्‌बोधन

देवियों और सज्जनों,

भारत निर्वाचन आयोग के हीरक जयन्ती समारोह के क्रम में प्रदेश में प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

भारत निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र की छः दशकों की यात्रा के प्रारम्भ से ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। आयोग ने अब प्रत्येक

वर्ष की 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग साधुवाद का पात्र है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि मतदाताओं में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो एवं चुनावों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी रहे।

मुझे यह जानकर खुशी है कि इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और प्रदेश के लगभग 87 हजार मतदान केन्द्रों पर ऐसे आयोजन कर नये मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किये जा रहे हैं और उन्हें बैज लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। जनपदों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ

लेबिल आफिसरों को भी सम्मानित किये जाने का कार्यक्रम है। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिये एक जागरूकता गीत भी विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा है।

इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने एक नारा भी दिया है– ''मतदाता होने का है मुझे गर्व मत देने को हूँ मैं तैयार''। ( **Proud to be a Voter Ready to Vote** )

इस अवसर पर मतदाताओं को एक महत्वपूर्ण शपथ दिलाने का भी निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है। मतदाताओं को किसी प्रलोभन अथवा धर्म, जाति, भाषा से प्रभावित हुये बिना निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलायी जा रही है।

गत कई वर्षों से सभी पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने पर आयोग का जोर रहा है। प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता है। मुझे बताया गया है कि 18–22 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण मतदाता सूची में अपेक्षाकृत कम है। हमारे युवा ही देश का भविष्य हैं। अतः युवाओं को मतदाता बनाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात की तुलना में मतदाता सूची में उनकी पंजीकृत संख्या कम है। सभी पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। मुझे बताया गया है कि मतदाता सूची के निरन्तर पुनरीक्षण

का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और कोई भी पात्र व्यक्ति नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन देने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

इस अवसर पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिये कि हमारे आस–पास के जो भी पात्र व्यक्ति अभी तक मतदाता नहीं बन पाये हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके मतदाता बनावायें ताकि सभी व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकें।

हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी समस्या कम मतदान प्रतिशत है। इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अधिकतम लोगों की सहभागिता चुनावों में हो सके, इसमें प्रत्येक वर्ष मनाये जाने वाले राष्ट्रीय

मतदाता दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है यदि सभी इस दिवस की भावना के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो जायें। मेरे विचार से हमारा जागरूक मीडिया तंत्र इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

मैं सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इन आयोजनों से आने वाले कुछ समय में मतदाताओं में जागरूकता और निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी।

धन्यवाद–नमस्कार।